न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ साधना शर्मा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 48/2023

जीसीएमएस संख्या: 2023/129

1. वृन्दावन पुत्र मेवाराम जाति काछी (कुशवाह) निवासी ओदी का पुरा तहसील व जिला धौलपुर ....वादी

बनाम

1. ऋषिकेश पुत्र मेवाराम
2. कुमरपाल पुत्र मेवाराम
3. श्रीमती पूरनदेई पत्नी मेवाराम
4. भूपसिंह पुत्र मेवाराम
   समस्त जातिगण काछी (कुशवाह) निवासी ओदी का पुरा तहसील व जिला धौलपुर ....प्रतिवादीगण
5. बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा धौलपुर जरिये शाखा प्रबंधक महोदय बी. आर.के.जी.बी. धौलपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर राज0

दावा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक 15.07.2025

निर्णय

वादी ने विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 07.07.2023 को एक राजस्व वाद बावत् बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में पेश किया। जो बाद तहकीकात दिनांक 05.05.2025 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया गया, तथा तहसीलदार धौलपुर से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। तहसीलदार धौलपुर ने पत्रांक 514 दिनांक 11.07.2025 से विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किये है।

विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया एवं वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी की बहस सुनी गई, वकील वादी ने विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति जाहिर की, एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार धौलपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया विभाजन प्रस्ताव विवादित आराजी पर वर्तमान खातेदार काश्तकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही है। ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी खसरा नम्बर 307, 308 स्थिति ग्राम भोजपुर तहसील व जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक– पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:–

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकवा
1. वृन्दावन पुत्र मेवाराम जाति कुशवाह हि0 पूर्ण	307 / 3	0.1745 है0
सा. ओदी का पुरा खातेदार	308 / 1	0.1568 है0
2. ऋषिकेश पुत्र मेवाराम जाति कुशवाह हि0 पूर्ण	307 / 4	0.1745 है0
सा. ओदी का पुरा खातेदार	308 / 4	0.1568 है0
3. कुमरपाल पुत्र मेवाराम जाति कुशवाह सा. ओदी	307 / 5	0.1745 है0
का पुरा खातेदार	308 / 2	0.1568 है0
4. पूरनदेई पत्नी मेवाराम जाति कुशवाह सा. ओदी	307 / 1	0.1745 है0
का पुरा खातेदार	308 / 5	0.1568 है0
5. भूपसिंह पुत्र मेवाराम जाति कुशवाह सा. ओदी	307 / 2	0.1745 है0
का पुरा खातेदार	308 / 3	0.1568 है0

कुल किता 10 रकवा 1.6565 हैक्टेयर बाकै ग्राम भोजपुर तहसील व जिला धौलपुर कुल लगान 3.40 रूपये।

उपरोक्तानुसार ही पक्षकारों के खाते एवं लगान पृथक– पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। विवादित आराजी के कुल लगान 3 रूपये 40 पैसे के बीस गुना राशि पर देय मुद्रांक कर 06 रूपये 80 पैसे के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 15.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)